अनवान विनोद कुमार बनाम पतराम
वाद मुकदमा नं. 29/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम, आई.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 29/2024

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

विनोद कुमार पुत्र श्री पतराम जाति जाट उम्र वर्ष निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

— वादी

बनाम

1. पतराम पुत्र श्री लछमणराम } जाति जाट निवासीयान गांव दौलतपुरा
2. श्रीमती सन्तो देवी पत्नी श्री पतराम } तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. कमला (पुत्री श्री पतराम) पत्नी श्री दौलतराम जाति जाट निवासी गांव बिलौचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. सुलोचना (पुत्री श्री पतराम) पत्नी श्री तेजपाल जाति जाट निवासी गांव बिलौचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी	वादी
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी	प्रतिवादी 1 ता 4
पैरोकार राज	(प्रति.5)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.10.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी का स्थाई पता व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार वाद पत्र के शीर्षक में सही अंकित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 पतराम वादी के पिताजी तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माताजी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वादी की बहने है। चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 111/20 के मुरब्बा नम्बर 39, 45, की कुल 3.339 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से वादी के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 (पतराम पुत्र लछमणराम) के नाम से 1/2 हिस्सा यानि 1.6695 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है । चक 4 क्यू के खाता संख्या 111/20 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है। चक 4 क्यू की कृषि भूमि वादी के दादाजी लिछमनराम पुत्र गणेशाराम द्वारा अपने जीवनकाल में किये गये बंटवारानामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण सं. 6 दिनांक 23.09.1973 के द्वारा वादी के पिताजी एवं इनके भाईयो व वादी के दादाजी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई एवं वादी के दादाजी लिछमनराम पुत्र गणेशाराम के स्वर्गवास होने के बाद उनके नाम दर्ज 1.644 है. कृषि भूमि विरास्तन इन्तकाल संख्या 224 दिनांक 08/02/2006 द्वारा वादी के पिताजी, प्रतिवादी संख्या 1 पतराम व इनके भाईयो के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई । वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 पतराम व इनके भाईयो द्वारा चक 4 क्यू एवं चक 6 क्यू की कृषि भूमि का पारस्परिक सहमति से किये गये विभाजन अनुसार वादी [illegible] के नाम अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के दादाजी से [illegible] 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है। वादी का इस भूमि [illegible] घोषित करवाने का अधिकारी है। चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा [illegible] नगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 111/20 के मुरब्बा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

39, 45, की कुल 3.339 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से वादी के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 (पतराम पुत्र लछमणराम) के नाम से 1/2 हिस्सा यानि 1.6695 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/2 हिस्सा यानि 0.83475 है. कृषि भूमि वादी को घरेलू बंटवारा में दी हुई है लेकिन उक्त पारिवारिक विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1, वादी को घरेलू बंटवारा में दी गई उक्त वर्णित वादी के नाम दर्ज करवाने में पूर्णतः सहमत है अतः उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतू प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष दिनांक 31/01/2024 को पेश हुए लेकिन प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा श्रीमान जी न्यायालय में वाद दायर कर उक्त हिस्सा घोषित करवाने की हिदायत दी गई है लेकिन प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया है यही बिनाय मुखास्मत है इसलिए वादी के पास उक्त वाद पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रतिवादी सं. 5 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 111/20 के मुरब्बा नम्बर 39, 45, की कुल 3.339 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (पतराम पुत्र लछमणराम) के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 1.6695 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/2 हिस्सा यानि 0.83475 है. कृषि भूमि वादी की घोषित की जावे।

(ख) उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 व 2 की ओर से राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 4 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 111/20 के मुरब्बा नम्बर 39, 45 की कुल 3.339 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से पतराम पुत्र लछमणराम के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 1.6695 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/2 हिस्सा यानि 0.83475 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी विनोद कुमार को घरेलू बंटवारा में दी हुई है।

अतः उक्त राजीनामानुसार चक 4 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 111/20 के मुरब्बा नम्बर 39, 45, की कुल 3.339 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से पतराम पुत्र लछमणराम के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 1.6695 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/2 हिस्सा यानि 0.83475 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है। लिहाजा यह राजीनामा पक्षकारान ने अपने होशो हवास में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपने स्वेच्छा से तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार चक 4 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 111/20 के मुरब्बा नम्बर 39, 45, की कुल 3.339 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

39, 45, की कुल 3.339 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से वादी के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 (पतराम पुत्र लछमणराम) के नाम से 1/2 हिस्सा यानि 1.6695 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/2 हिस्सा यानि 0.83475 है. कृषि भूमि वादी को घरेलू बंटवारा में दी हुई है लेकिन उक्त पारिवारिक विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1, वादी को घरेलू बंटवारा में दी गई उक्त वर्णित वादी के नाम दर्ज करवाने में पूर्णतः सहमत है अतः उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतू प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष दिनांक 31/01/2024 को पेश हुए लेकिन प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा श्रीमान जी न्यायालय में वाद दायर कर उक्त हिस्सा घोषित करवाने की हिदायत दी गई है लेकिन प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया है यही बिनाय मुखास्मत है इसलिए वादी के पास उक्त वाद पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रतिवादी सं. 5 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 111/20 के मुरब्बा नम्बर 39, 45, की कुल 3.339 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (पतराम पुत्र लछमणराम) के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 1.6695 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/2 हिस्सा यानि 0.83475 है. कृषि भूमि वादी की घोषित की जावे।

(ख) उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 व 2 की ओर से राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 4 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 111/20 के मुरब्बा नम्बर 39, 45 की कुल 3.339 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से पतराम पुत्र लछमणराम के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 1.6695 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/2 हिस्सा यानि 0.83475 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी विनोद कुमार को घरेलू बंटवारा में दी हुई है।

अतः उक्त राजीनामानुसार चक 4 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 111/20 के मुरब्बा नम्बर 39, 45, की कुल 3.339 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से पतराम पुत्र लछमणराम के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 1.6695 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/2 हिस्सा यानि 0.83475 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है। लिहाजा यह राजीनामा पक्ष[illegible] साबित होशो हवास में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपने स्वेच्छा से तहरीर कर दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार चक 4 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 111/20 के मुरब्बा नम्बर 39, 45, की कुल [illegible]39 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

में से पतराम पुत्र लछमणराम के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 1.6695 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/2 हिस्सा यानि 0.83475 है. कृषि भूमि हम उतरदातागण के भाई विनोद कुमार को पारिवारिक विभाजन में दी हुई है जिसको राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने में हम उतरदातागण सहमत है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर चक 4 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 111/20 के मुरब्बा नम्बर 39, 45, की कुल 3.339 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से पतराम पुत्र लछमणराम के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 1.6695 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/2 हिस्सा यानि 0.83475 है. कृषि भूमि हम उतरदातागण के भाई/वादी विनोद कुमार की घोषित कर दी जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्-2072 -2075 ग्राम 4 क्यू, पटवार क्षेत्र दौलतपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 111/20, वादग्रस्त आरजी के विरास्त होने बाबत विरास्तन इंतकाल जमाबंदी सम्वत ग्राम 4 क्यू, पटवार क्षेत्र दौलतपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 224/1 की प्रति पेश की गई। वादी द्वारा विरास्तन इंतकाल 6/33 की प्रति पेश की गई।

वकील वादी द्वारा बहस के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.1998 अनवान राजस्थान सरकार बनाम कान सिंह पुत्र मोडसिंह धारा 88 आर.टी.ए. की प्रति पेश की गई।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उताराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उताराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

—:: आदेश ::—

अतः वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर चक 4 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 111/20 के मुरब्बा नम्बर 39, 45, की कुल 3.339 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से पतराम पुत्र लछमणराम के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 1.6695 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/2 हिस्सा यानि 0.83475 है. कृषि भूमि का वादी विनोद कुमार पुत्र पतराम को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर यदि कोई भार है तो [illegible] स्थिति भूमि होने पर उक्तानुसार भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.10.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner